रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 4, 1996/कार्तिक 13, 1918
No. 368] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 4, 1996/KARTIKA 13, 1918

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY No. Date GOVT. OF INDIA

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1996

सा. का. नि. 509(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (दूसरा संशोधन) नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्वापक औषधि मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 की अनुसूची 1 में, शीर्षक "II, मन:प्रभावी पदार्थ" के अधीन क्लोबाजाम से संबंधित क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. I/18/96-एन. सी. बी. (कार्डि)]

बी. एन. गाबा, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी : मूल नियम सा. का. नि. 837(अ) दिनांक 14 नवम्बर, 1985 के तहत प्रकाशित किए गए थे तत्पश्चात, का. आ. 786(अ) दिनांक 26-10-1992, का. आ. 599(अ) दिनांक 10-8-1993, सा. का. नि. 748(अ) दिनांक 14-12-1993, सा. का. नि. 543(अ) दिनांक 24-10-1994, सा. का. नि. 82 दिनांक 14-2-1995, सा. का. नि. 556(अ) दिनांक 14-7-1995 और सा. का. नि. 25(अ) दिनांक 12-1-1996 के द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF FINANCE

Department of Revenue

(Narcotics Control Bureau)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 1996

G.S.R. 509(E).—In exercise of the powers conferred by section 9, read with section 76, of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Second Amendment) Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, in Schedule I, under heading "**II. Psychotropic Substances**", serial number 6 relating to Clobazam and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. I/18/96-NCB(Coord)]
V. N. GABA, Desk Officer

Note : The principal rules published vide G.S.R. 837 (E) dated 14th November, 1985 were subsequently amended vide S.O. 786(E) dated 26-10-1992, S.O. 599(E) dated 10-8-1993, GSR748(E) dated 14-12-1993, GSR 543 dated 24-10-1994, GSR 82 dated 14-2-1995, GSR 556(E) dated 14-7-1995 and GSR 25(E) dated 12-1-1996.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996